[illegible] सिंह [illegible],
अरण्यपाल,

अ० शा० पत्र सं० 2530/10-17

कार्यालय
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत्त, उ०प्र०

दि० 6-5-74

प्रिय श्री--

मुख्य मंत्री जी के साथ दिनांक 23 व 24 अप्रैल 1974 को हुई वन सम्बन्धी वार्ताओं की बैठक के विनिश्चय (जो इस कार्यालय को वन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की संख्या 2309/14-2/74 दिनांक 27-4-74 को प्राप्त हुई) प्रस्तर 8 का उद्धरण आपके अवलोकनार्थ दिया जाता है:-

प्रस्तर-8:- चिपको आन्दोलन:- चमोली के पास वन विभाग द्वारा दिये गये रैणी के जंगल के खिलाफ चल रहे चिपको आन्दोलन के बारे में यह तय किया गया कि निम्नलिखित कमेटी का गठन किया जाय जो मौके पर जाकर वस्तु स्थिति का अवलोकन कर 31 मई 74 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(1)	दिल्ली के एक बोटेनिस्ट, जो [illegible] ठीक [illegible] एक साइन्टिस्ट मनोनीत कर रहे हैं।	अध्यक्ष
(2)	श्री गोविन्द सिंह रावत, उपाध्यक्ष, पर्वतीय विकास परिषद।	सदस्य।
(3)	श्री गोविन्दसिंह नेगी, विधायक, टेहरी	सदस्य।
(4)	श्री [illegible] कुमार अग्रवाल (प्रमुख)	-वही-
(5)	जिलाधीश चमोली एवं कमिश्नर या उनके द्वारा मनोनीत उनके [illegible] का एक उपयुक्त अधिकारी	-वही-
(6)	श्री पी०एन० मिश्र, अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन वृत्त सं०2, सिंचाई विभाग, लखनऊ	सदस्य।
(7)	श्री चण्डी प्रसाद भट्ट, सर्वोदय आश्रम, गोपेश्वर।	-वही-
(8)	श्री पी० एस० रावत, ब्लाक प्रमुख, जोशीमठ	-वही-
(9)	श्री [illegible] सिंह [illegible], अरण्यपाल, गढ़वाल वृत्त, देहरादून।	सदस्य सचिव।

यह कमेटी जब मौके पर जायेगी तो रैणी, लाता, तपोवन व [illegible] के पांच ग्रामवासियों को बुलाकर इस सिलसिले में उनकी भी राय लेगी।

उपरोक्त प्रस्तर से स्पष्ट है कि आपको मुख्य मंत्री जी ने इस समिति का सदस्य मनोनीत किया है। यह मुख्य मंत्री जी की भावनाओं के अनुसार होगा यदि आप अपना अमूल्य समय निकालकर इस समिति की बैठक में सम्मिलित होने की कृपा करें। इस समिति के अध्यक्ष महोदय से टेलीफोन पर विचार किया गया है कि दिनांक 27 व 28 मई 74 को वन विश्राम गृह जोशीमठ में इस समिति की बैठक होनी प्रस्तावित होगी। अतः महोदय

श्री इन तिथियों की पुष्टिकरण करने पर आपको पुनः सूचित किया जायेगा ।

सद्भावनाओं सहित ।

भवदीय

(पैनीसिंह [illegible])

श्री

सेवा में,

(1) श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी,
उपाध्यक्ष,
पर्वतीय विकास परिषद ।

(2) श्री गोविन्दसिंह नेगी,
विधायक, टेहरी ।

(3) कैलाशचन्द्र जैन,
अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल,
(प्रबन्ध),
उ० प्र०, नैनीताल ।

(4) निदेशक भूगर्भ एवं खनन
या उनके द्वारा मनोनीत उनके
निदेशालय का एक उच्च स्तरीय
अधिकारी ।

(5) श्री एस० एस० निगम,
अधीक्षण अभियन्ता,
नियोजन वृत्त न०- 2,
सिंचाई विभाग, लखनऊ ।

(6) श्री चण्डी प्रसाद भट्ट,
सर्वोदय आश्रम,
गोपेश्वर ।

(7) श्री जी०एस० रावत,
ब्लोक प्रमुख, जोशीमठ,
जिला- चमोली ।

चैनसिंह सौन्दाल

अरण्यपाल,

अ० शा० पत्र सं० क-2547/1077

कार्यालय
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ०प्र०

दि० 6-5-1974

प्रिय श्री वीरेन्द्र कुमार

दिनांक 23 व 24 अप्रैल 1974 को माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ वन सम्बन्धी मामलों की बैठक की मिनिट्स परिच्छेद 8 का निम्नांकित उद्धरण (जो अधोहस्ताक्षरी को वन अनुभाग-2, शासनादेश संख्या 2309/14-2/74, दिनांक 27 अप्रैल 1974 को प्राप्त हुआ है) आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

8. "चिपको आन्दोलनः- जोशीमठ के पास वन विभाग द्वारा बेचे गये रेणी के जंगल के खिलाफ चल रहे चिपको आन्दोलन के बारे में यह तय किया गया कि निम्नलिखित कमेटी का गठन किया जाय जो मौके पर जाकर वस्तु स्थिति का अवलोकन कर 31 मई 1974 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

~~कर रहे हैं~~

(1)	दिल्ली के एक बोटेनिस्ट जो जोशीमठ में एक लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं।	अध्यक्ष
(2)	श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष, पर्वतीय विकास परिषद।	-ऐ-
(3)	श्री गोविन्दसिंह नेगी, विधायक, टैहरी	सदस्य
(4)	अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्ध)	-ऐ-
(5)	निदेशक भूगर्भ एवं खनन या उनके द्वारा मनोनीत उनके निदेशालय का एक उच्चस्तरीय अधिकारी	-ऐ-
(6)	श्री पी०एस० निगम, अधीक्षण अभियंता, नियोजन वृत्त नं० 2, सिंचाई विभाग, लखनऊ।	-ऐ-
(7)	श्री चण्डी प्रसाद भट्ट, सर्वोदय आश्रम, गोपेश्वर	-ऐ-
(8)	श्री जी०एस० रावत, ब्लॉक प्रमुख, जोशीमठ	-ऐ-
(9)	श्री चैनसिंह सौन्दाल, अरण्यपाल, गढ़वाल वृत्त, देहरादून।	सदस्य सचिव।

यह कमेटी जब मौके पर जायेगी तो रेणी, लता, तपोवन व ढाक के गांव-सभापतियों को बुलाकर इस सिलसिले में उनका भी साक्ष्य लेगी।"

उपरोक्त परिच्छेद से यह स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपको इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की भावनाओं का सम्मान होगा कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर इस समिति की बैठक में ~~अमूल्य समय निकालकर~~ भाग लेनें की कृपा करेंगे।

आपसे निवेदन किया जाता है कि क्या इस समिति की बैठक दिनांक 27 व 28 मई 1974 को जोशीमठ वन विश्राम गृह में रखने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं है। मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप इसका पुष्टिकरण अविलम्ब कर दें ताकि

में इस समिति के सदस्यों को अविलम्ब सूचित कर सकूँ । जिससे कि वे 26-5-74 को जोशीमठ में इस प्रस्तावित बैठक में सम्मिलित हो सकें । इससे पूर्व समिति की बैठक की तिथि निश्चित करने में कठिनाई यह होगी कि समिति के अन्य सदस्यों को समय के अन्दर सूचना देना सम्भव नहीं होगा ।

इस कार्यालय के अर्ध शासकीय पत्र संख्या क- 2530 / 10- 17 दिनांक 6-5-74 की प्रतिलिपि जिसमें अन्य सदस्यों को भी इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है आपके अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है ।

सदभावनाओं सहित ।

मि -1

भवदीय

(चैनसिंह सो[illegible]ल)

श्री वीरेन्द्रकुमार
वनस्पति पति विभाग
दिल्ली कौलेज, दिल्ली

--------STATE--------------ORDINARY ---------------TELEGRAM----------

SRI BIRENDRA KUMAR

PROJECT LEADER

DEPARTMENT OF BOTANY

DELHI COLLEGE DELHI -6

---Rs

THANKS FOR REPLY XXX ALL MEMBERS INFORMED ACCORDINGLY

CONSERVATOR GARHWAL

N.T.T.

DATED: DEHRADUN:MAY 17,1974

(C.S.SAUNDAL)
CONSERVATOR OF FORESTS,
GARHWAL CIRCLE,U.P.

OFFICE OF THE CONSERVATOR OF FORESTS,GARHWAL CIRCLE,U.P.DEHRADUN.

No. Ka-2643/10-17 dated:Dehradun: May 17,1974

Post copy in confirmation to Sri Birendra Kumar, Project leader, Department of Botany, Delhi College, Delhi -6, with recerence to his telegram dated 14.5.74:

(C.S.SAUNDAL)
CONSERVATOR OF FORESTS:
GARHWAL CIRCLE, U.P.

अग्रेषित
[signature] 17/5
प्रधान सहायक,
गढ़वाल वृ., उ०प्र०,
देहरादून

Lohani/ 17-5

चैनसिंह सौन्दाल,
अरण्यपाल,

अ० शा० पत्र सं० ____________

कार्यालय
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ०प्र०
दि० 17-5-74

प्रिय श्री-----

कृपया मेरा अर्ध शासकीय पत्र संख्या क-2530/10-17, दि० 6-5-74 का अवलोकन करने की कृपा करें । चूंकि श्री वीरेन्द्र कुमार जो '' चिपको आन्दोलन समिति'' के अध्यक्ष हैं ने समिति की बैठक की प्रस्तावित तिथियां (27 व 28 मई-74) का पुन[illegible] कर दिया है । अतः आपसे अनुरोध है कि जोशीमठ वन विश्राम भवन के प्रांगण में इस समिति के बैठक में भाग लेने हेतु 10 बजे प्रातः 27-5-74 को पधारने का कष्ट करें ।

भवदीय

(चैनसिंह सौन्दाल)

सेवा में,

(1) श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष, पर्वतीय विकास परिषद ।

(2) श्री गोविन्दसिंह नेगी, विधायक, टेहरी ।

(3) श्री कैलाशचन्द्र जैन, अति० मुख्य अरण्यपाल, (प्रबन्ध) नैनीताल ।

(4) निदेशक, भूगर्भ एवं खनन या उनके द्वारा मनोनीत उनके निदेशालय का एक उच्च स्तरीय अधिकारी ।

(5) श्री पी०एस० निगम, अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन वृत्त, नं०-2, सिंचाई विभाग, लखनऊ ।

(6) श्री चण्डी प्रसाद भट्ट, सर्वोदय आश्रम, गोपेश्वर ।

(7) श्री जी०एस० रावत, ब्लौक प्रमुख, जोशीमठ ।

संख्या क-2635 (1)/10-17 दिनांकित:

प्रतिलिपि श्री वीरेन्द्र कुमार (Project Leader) Delhi-6 को इस कार्यालय की पत्र संख्या 2547/10-17, दिनांक 6-5-74 तथा उनके दिनांक 14-5-74 के तार द्वारा सूचना के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(चैनसिंह सौन्दाल)
अरण्यपाल,
गढ़वाल वृत्त, उ० प्र०, देहरादून ।

कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उत्तर प्रदेश, देहरादून

सं0 /41-7(1) दिनांक पोड़ी, जुलाई 10, 1974

सेवा में,

श्री वीरेन्द्र कुमार,
प्रोजेक्ट लीडर,
डिपार्टमेंट आफ बोटनी,
देहली कालेज, अजमेरी गेट,
दिल्ली-6

विषयः- चमोली जिले में जोशीमठ के निकट रेणी वन में वन विभाग द्वारा बेचे गये पेड़ों के कटान के प्रश्न के अध्ययन के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा गठित समिति।

प्रिय महोदय,

उक्त समिति के सुझाव के अनुसार निदेशक, भूमि संरक्षण, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व होना भी वांछनीय है जिसके लिए चीफ साइन्टिस्ट एण्ड कोर्डिनेसन, सेन्ट्रल स्वायल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटिट्यूट, देहरादून को पत्र लिखा गया है। उनका उत्तर अभी तक इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति की बैठक जुलाई 1974 में सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह वांछनीय होगा कि इस समिति की कार्य अवधि बढ़ाना आवश्यक है। श्री के0सी0 जैन, अति0 मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्ध), नैनीताल जो इस समिति के सदस्य हैं, उनकी राय है कि समिति की बैठक जोशीमठ में ही सितम्बर के अन्त में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही होनी उचित रहेगी जिससे कि इस समस्या का हल स्थानीय जन सम्पर्क से किया जा सके। उप समिति की रिपोर्ट के उपरान्त स्थानीय जनता की राय पुनः लेना वांछनीय होगा। क्या ऐसी परिस्थितियों में इस समिति की कार्य अवधि को 31-10-74 तक बढ़ाने के लिए लिखा जाय? अतः निवेदन है कि आप अपनी राय से मुझे अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,

पृ-25/41-7(1)

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, पोड़ी

प्रतिलिपि श्री के0सी0जैन, अति0 मुख्य अरण्यपाल (प्र), उ0प्र0, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, पोड़ी

कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उत्तर प्रदेश, ~~देहरादून~~ पौड़ी

सं0 ई-24/41-7(1) दिनांक पौड़ी, जुलाई 10, 1974

सेवा में,

चीफ साइन्टिस्ट एण्ड कोर्डिनेशन,
सेन्ट्रल स्वायल एण्ड वाटर कन्जरवेशन,
रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटिट्यूट,
218, कौलागढ़ रोड,
देहरादून

विषय:- चमोली जिले में जोशीमठ के निकट रेणी वन में वन विभाग द्वारा बेचे गये पेड़ों के कटान के प्रश्न के अध्ययन के लिये राज्यपाल महोदय द्वारा गठित समिति।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र सं0 ई-2688/41-7(1), दिनांक 13-6-74

प्रिय महोदय,

आपका ध्यान इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया जाता है कि उप समिति के लिए सॉयल कन्जरवेशन एक्सपर्ट का नाम मनोनीत करने की कृपा करें। निरीक्षण का कार्य गत जून में होना था, परन्तु आपके द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य के अभाव में यह कार्य नहीं हो सका। अब निरीक्षण का कार्य ~~अब~~ आगामी अगस्त या सितम्बर में होना सम्भव हो सकेगा। निरीक्षण का समय अर्थात माह व तिथि श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रोजेक्ट लीडर, देहली कालेज, देहली, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, वहीं निश्चित करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने विभाग के अधिकारी का नाम शीघ्र मनोनीत करने की कृपा करें तथा ~~उक्त~~ मनोनीत सदस्य का नाम समिति के अध्यक्ष को भी सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, ~~उ0प्र0~~
पौड़ी

प्रतिलिपि श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रोजेक्ट लीडर, डिपार्टमैंट आफ बोटनी, देहली कालेज, अजमेरी गेट, देहली-6 को सूचनार्थ प्रेषित।

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, पौड़ी

पा/10

पातालगंगा जलागम क्षेत्र

इस जलागम क्षेत्र में वर्ष 1970 में अत्यधिक भूस्खलन हुआ और लैन्ड स्लाइड आये। जलागम क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन में वर्ष 1965-66 में जो वृक्ष गिराये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

दशोली 5 कं0 19

कुल क्षेत्रफल	फर, स्प्रूस व कैल के अन्तर्गत क्षेत्र फल	शंकुधारी फर, स्प्रूस व कैल के वृक्षों की कुल संख्या			कुल गिराये गये वृक्ष	प्रति है0 शंकुधारी वृक्षों की सं0		
		एक्सप्लाइटेबुल व्यास से नीचे 50 सेमी0	एक्सप्लाइटेबल व्यास से ऊपर	योग 3 व 4 का		ऐक्सप्लाइटेबल व्यास के नीचे 3/2	ऐक्सप्लाइटेबल व्यास के ऊपर 4/2	योग 7 व 8 का
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148-9	103-6	2098	~~2914~~ 3359	~~5012~~ 5457	445	22	~~28~~ 12	~~50~~ 54

प्रति है0 शंकुधारी वृक्षों की संख्या जो छापे गये।	शेष शंकुधारी वृक्षों की संख्या 5-6	शेष शंकुधारी वृक्षों की संख्या प्रति है0 11/2	विवरण
10	11	12	13
4	~~4567~~ 5012	~~44~~ 50	दशोली 5, कं0 19 को वर्ष 1973-74 से दो भागों (19 अ तथा 19 ब) में विभक्त कर दिया गया है। फर, स्प्रूस व कैल वाला क्षेत्र कं0 19-अ में में है तथा बांज, तिलांज आदि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष कं0 19-ब में हैं। कं0 19-ब में बांज व तिलांज के 7823 वृक्ष हैं। इनमें से कोई भी नहीं गिराये गये हैं।

वर्ष 1965-66 के पश्चात् उपरोक्त क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं छापे गये हैं।

(चैनसिंह सौंथाल)
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ0प्र0

बद्रीनाथ वन प्रभाग

फर स्प्रूस कार्यवृत — **दशोली-सात, कक्ष 8 व 9**

कुल क्षेत्रफल है0 में	फर, स्प्रूस व कैल के अन्तर्गत क्षेत्र फल है0	शंकुधारी फर, स्प्रूस, कैल व सुरई के कुल वृक्षों की सं0			कुल छपे वृक्ष जो गिराये जायेंगे	प्रति है0 शंकुधारी वृक्षों की संख्या		
		एक्सप्लायटेबिल व्यास से नीचे (50 सेमी0)	एक्सप्लायटेबिल व्यास से ऊपर के वृक्ष	योग 3 व 4 का		एक्सप्लायटेबिल व्यास से नीचे (3/2)	एक्सप्लायटेबिल व्यास से ऊपर (4/2)	कुल योग स्तम्भ 7 व 8 का
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1165·4	681·4	41020	65278	Total 106298	2451	60·2	95·8	156
		less than 5' dia	More than 5'	trees conifer	Marked 5' & more 4' 3.6 trees per ha		156 trees per ha 1½ tree/acre	152

प्रति है0 शंकुधारी वृक्षों की सं0 जो छापे गये	शेष शंकुधारी वृक्षों की संख्या ~~प्रति है0~~ कुल ~~(का0 11/2)~~ का0 (5-6)	शेष शंकुधारी वृक्षों की संख्या प्रति है0 (का0 11/2)	विवरण
10	11	12	13
3·6	103847	152·4	स्तम्भ सं0 11 में दर्शाये गये शेष शंकुधारी वृक्षों के अलावा कुल चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जो अकेले पेचेज (patches of broad leaved trees) तथा शंकुधारी वृक्षों के साथ उगे हैं वे भी नहीं छापे गये हैं। अतः वे भी जंगल में खड़े हैं।

Work plan
Total no. of trees
Could be marked = 955
Actually now = 2451

(हस्ताक्षर)
अरण्यपाल,
गढ़वाल वृत, उ0प्र0

कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत्त, उ0प्र0, पौड़ी ।

संख्या ख- 174/41-7(1) दिनांक, पौड़ी, जुलाई 29, 1974:

सेवा में,

श्री वीरेन्द्रकुमार, प्रोजेक्ट लीडर,
डिपार्टमेंन्ट ऑफ बाटनी,
देहली कालेज, अजमेरी गेट,
दिल्ली- 6 :

विषय :- चमोली जिले में जोशीमठ के निकट रेणी वन में विभाग द्वारा बेचे गये पेड़ों के कटान के प्रश्न के अध्ययन के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा गठित समिति ।

संदर्भ :- इस कार्यालय की पत्र संख्या ख- 2688/41-7(1) दिनांक 13-6-74:

प्रिय महोदय,

मैं आपके पास चीफ साइन्टिस्ट तथा कोआर्डिनेटर देहरादून की पत्र संख्या 5292/13(17)/73(सी0डी0एम0) दिनांक 15-7-74 की एक प्रति सूचनार्थ भेज रहा हूँ ।

संलग्नक :- जैसा ऊपर है ।

भवदीय,

(चैनसिंह पोन्दाल)
अरण्यपाल,
गढ़वाल वृत्त, उ0प्र0, पौड़ी ।

लोहनी/22-7

कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ0प्र0, पौड़ी।

संख्या ख- 198 / 41-7(1) दिनांक, पौड़ी, जुलाई 30, 1974:

सेवा में,

श्री वीरेन्द्रकुमार, प्रोजेक्ट लीडर,
डिपार्टमेंट आफ बाटनी,
देहली कालेज, अजमेरी गेट, दिल्ली-6,

विषय :- चमोली जिले में जोशीमठ के निकट रेणी वन में वन विभाग द्वारा बेचे गये पेड़ों के कटान के प्रश्न के अध्ययन के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा गठित समिति।

संदर्भ :- इस कार्यालय की पत्र संख्या ख-25/41-7(1), दिनांक 10-7-74:

प्रिय महोदय,

आपका ध्यान उपरोक्त पत्र की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन है कि संदर्भित पत्र में वर्णित परिस्थितियों के कारण समिति की कार्य अवधि 31-10-74 तक बढ़ाने के लिए आप अपनी राय से मुझे शीघ्र अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,

(चैनसिंह गौन्दाल)
अरण्यपाल,
गढ़वाल वृत, उ0प्र0, पौड़ी।

पत्र संख्या (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री के0सी0जैन, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्ध) उत्तर-प्रदेश नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(चैनसिंह गौन्दाल)
अरण्यपाल,
गढ़वाल वृत, उ0प्र0, पौड़ी।

लीहनी/19-7